प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक 08.01.2025

थाना चोपन पुलिस को मिली सफलता, पुलिस टीम ने दुष्कर्म/पॉक्सो एक्ट एवं अनैतिक देह व्यापार करवाने वाले महिला सहित कुल 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

प्रकरण- अवगत कराना है कि दिनांक 07.01.2025 को आवेदिका निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर लिखित तहरीर दी गई कि मेरी पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को सूरज पुत्र शिव शंकर निवासी ग्राम करगरा थाना चोपन जनपद सोनभद्र द्वारा पिछले करीब डेढ़ वर्षों से पत्नी बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे मेरी पुत्री दो बार गर्भवती हो गई, गर्भवती होने पर सूरज द्वारा जबरदस्ती दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। सूरज पुत्र शिवशंकर तथा उसी के गांव के मुन्ना पुत्र संतु, सत्येंद्र पुत्र राधेश्याम व बुद्धवंती देवी उर्फ केचुई पत्नी मुन्ना समस्त निवासीगण ग्राम करगरा थाना चोपन जनपद सोनभद्र मिलकर मेरी पुत्री से देह व्यापार करवाते थे। प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चोपन पर मु0अ0सं0 06/25 धारा 376(1), 313, 120(बी) भादवि व धारा 3/4 (2), 5(जे)(2)/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 2/5 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्तों की शीध्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर को विशेष निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना चोपन पुलिस की टीम ने आज दिनांक-08.01.2025 को समय लगभग 08.40 बजे थाना चोपन अन्तर्गत बसकटवा मोड़ के पास से उपरोक्त 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1.सूरज पुत्र शिव शंकर निवासी ग्राम करगरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

2.मुन्ना पुत्र संतु निवासी ग्राम करगरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

3.सत्येंद्र पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम करगरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

4.बुद्धवंती देवी उर्फ केचुई पत्नी मुन्ना निवासी ग्राम करगरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण-

1.एक अदद मोबाइल।

2.दो हजार साठ रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार चौरसिया, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

2.व0उ0नि0 उमाशंकर यादव, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

3.का0 अभय कुमार, का0 दीपक वर्मा, म0का0 दीपा यादव, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।